आज़ादी का अमृत महोत्सव

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2023-24

तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड

(भारत सरकार, कर्नाटक सरकार तथा आंध्र प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)

Tungabhadra Steel Products Limited

(A Joint Undertaking of the Government of India & Governments of Karnataka & Andra Pradesh)

वार्षिक रिपोर्ट

2023–2024

अनुक्रमणिका	पृष्ठ सं.
निदेशक मंडल	2
वार्षिक प्रतिवेदन	3
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	7
भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	17
तुलन पत्र	18
लाभ और हानि विवरण	20
नकद प्रवाह विवरण	21
खातों के नोट्स	22
महत्वपूर्ण लेखाकरण नितियां	31
दस वर्षीय संकलन	40

निदेशक मंडल :

श्री वाई. के. वैश्य	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (दिनांक 31.07.2024 तक)
सुश्री सुषमा बत्रा	निदेशक (02.01.2024 तक)
श्री जोसेफ अतुल टी. बर्ला	निदेशक (03.01.2024 से)
श्री एस. के. वेंकटचार्यलु	निदेशक
श्री कृष्णमूर्ति बी. कुलकर्णी	निदेशक

लेखा परीक्षक :

एम. दुर्गा एण्ड एसोसिएट्स	सनदी लेखाकार, बेंगलोर

बैंकर (2023-24) :

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

पंजीकृत कार्यालय :

एचएमटी भवन, 59, बेल्लारी रोड, बेंगलूरु - 560 032.

पंजीकृत पहचान संख्या :

U74210KA1960PLC001379

वार्षिक रिपोर्ट 2023-24

(केवल सूचनात्मक प्रयोजन के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत तैयार करना आवश्यक नहीं है)

सेवा में,

भारी उद्योग मंत्रालय एवं अन्य नियामक निकाय

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने सितंबर 17, 2024 को ईमेल के जरिए सूचित किया कि तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड (कंपनी) द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत अपना नाम हटाने के लिए प्रस्तुत आवेदन को मंजूरी दे दी गई है। यह आवेदन मूल रूप से जनवरी 7, 2021 को ई-फॉर्म एसटीके-2 के एसआरएन: आर82990417 के द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

उक्त अनुमोदन आधिकारिक तौर पर भारत के आधिकारिक राजपत्र में सितंबर 14, 2024 को फॉर्म संख्या एसटीके-7 (आदेश सं. आरओसी/सी-पीएसीई/एसटीके-2/248(5) 2024-25/890) में नाम हटाने और विघटन की सूचना के हिस्से के रूप में प्रकाशित किया गया था, जो सितंबर 10, 2024 को जारी किया गया था। नाटिस में पुष्टि की गई है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) और कंपनी (कंपनियों के रजिस्टर से कंपननियों के नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के तहत, कंपनी का नाम आधिकारिक तौर पर सितंबर 9, 2024 को रजिस्टर ऑफ कंपनीज (आरओसी), कर्नाटक के कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है।

कंपनी के नाम को कंपनियों के रजिस्टर से हटाने और एमसीए द्वारा इसके विघटन के परिणामस्वरूप, कंपनी के पास अब निदेशक मंडल (बोर्ड) या शेयरधारक नहीं है, जिनकी स्वीकृति प्राप्त करनी है और अब इसे अपने किसी भी हितधारक को वार्षिक रिपोर्ट प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, भारी उद्योग मंत्रालय के अनुरोध पर, हम यह रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे है, जिसमें कंपनी के मामलों की स्थिति, साथ ही संबंधित अवधि के लिए ऑडिट किए गए वार्षिक खाते, ऑडिटर की रिपोर्ट और सी एवं एजी की टिप्पणियाँ शामिल है।

कंपनी के मामलों की स्थिति :

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने दिसंबर 22, 2015 को अपनी बैठक में कंपनी को बंद करने की मंजूरी दिया था। जनवरी 7, 2016 के डीएचआई पत्र के अनुसार, कंपनी ने मार्च 9, 2016 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के तहत सभी कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर दिया, अपनी चल और अचल संपत्तियों का निपटान किया और भारत सरकार (जीओआई) के 467.31 करोड़ रुपये के ऋण माफ कर दिए। कंपनी को सितंबर 6, 2016 को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) से भी हटा दिया गया, जिसके बाद इसने अपने लेनदारों और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के साथ एकमुश्त समझौता किया।

शेयरधारकों ने अपनी 59वीं बैठक में निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के तहत कंपनी रजिस्ट्रार, कर्नाटक को कंपनी का नाम कंपनी रजिस्टर से हटाने के लिए आवेदन करने की सहमति दी और बोर्ड को कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार सभी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया। इसके अलावा, भारी उद्योग विभाग ने क्षतिपूर्ति बांड जारी किया है।

उपर्युक्त स्वीकृतियों के आलोक मे, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत अपना नाम हटाने के लिए मूल रूप से जनवरी 7, 2021 को आरओसी को ईफॉर्म एसटीके-2 में एक आवेदन दिया था। हालांकि, आरओसी ने यह कहते हुए आवेदन को रोक दिया था कि कंपनी ने अपनी सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को समाप्त नहीं किया है, जो कि नाम हटाने के लिए एक प्राथमिक आवश्यकता थी, और कंपनी के नाम पर मुकदमें लंबित हैं। नतीजतन, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, तथा आरओसी, कर्नाटक के निर्देशों का पालन करने के लिए, कंपनी ने भारत सरकार के समर्थन से अपनी देनदारियों को चुकाने के लिए आवश्यक कदम उठाए और अपने नाम पर लंबित वाणिज्यिक कानूनी मामले को सुलझाया।

लंबे समय तक परिचालन बंद रहने के कारण वर्ष के दौरान कोई बिक्री नहीं हुई। वित्त वर्ष 2023-24 की आय केवल ब्याज और भारत सरकार (जीओआई) के ऋण माफी से प्राप्त हुई है। वर्ष के लिए घोषित आय 5,430.72 लाख रुपये रही, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह 42.11 लाख रुपये थी।

वर्ष के लिए कर से पहले समेकित लाभ 5408.57 लाख रुपये था, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 19.80 लाख रुपये से अधिक है। सामान्य रिजर्व में शेष राशि के हस्तांतरण के बाद वर्ष के लिए कर के बाद समेकित लाभ शून्य था, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह 19.80 लाख रुपये था। कंपनी ने अपने चालू वर्ष के लाभ 4547.36 लाख रुपये को रिजर्व और अधिशेष में स्थानांतरित कर दिया और मार्च 31, 2024 तक कंपनी के पास रिजर्व और अधिशेष के कारण (843.50) लाख रुपये है। मार्च 31, 2024 को कंपनी की नेटवर्थ शून्य है।

वित्तीय परिणाम :

(रू लाखों में)

विवरण	चालू वर्ष 31.03.2024 तक	गत वर्ष 31.03.2023 तक
कुल आय	5430.72	42.11
ब्याज, मूल्यह्रास एवं कर पूर्व लाभ	5408.57	19.80
घटाएं : ब्याज	-	-
घटाएं : मूल्यह्रास	-	-
कर पूर्व लाभ	5408.57	19.80
कर व्यय		
1) वर्तमान कर	(861.21)	-
2) आस्थगित कर	-	-
3) पिछले वर्षों से संबंधित कर	-	-
कर पश्चात लाभ	4547.36	-
घटाएं : सामान्य रिजर्व को स्थानांतरण	4547.36	-
कर एवं समायोजन पश्चात कुल लाभ	4547.36	19.80

उद्यम की प्रकृति में परिवर्तन :

वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी द्वारा कोई कारोबार नहीं किया गया।

वित्तीय विवरणों की तारीख के बाद की घटनाएं

एमसीए ने सितंबर 17, 2024 के ईमेल के जरिए बताया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड का नाम हटाने के लिए कंपनी द्वारा जनवरी 7, 2021 को एसआरएन:आर82990417 के तहत प्रस्तुत आवेदन ई-फॉर्म एसटीके-2 को मंजूरी दे दी गई है। एमसीए ने सितंबर 14, 2024 को भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया है, जिसमें सितंबर 10, 2024 को जारी फॉर्म संख्या एसटीके-7 (आदेश सं. आरओसी/सी-पीएसीई/एसटीके-2/248(5) 2024-25/890) में हटाने और विघटन की सूचना शामिल है। यह सूचना पुष्टि करती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) और कंपनी (कंपनियों के रजिस्टर से कंपननियों के नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसार, कंपनी का नाम सितंबर 9, 2024 को कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और कंपनी को विघटित कर दिया गया है।

बोर्ड की बैठकें :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की निम्नलिखित बैठकें आयोजित हुई :

क्रमांक	बैठकों की तिथि	बोर्ड की शक्ति	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	12 जून 2023	4	4
2.	9 फरवरी 2024	4	4

सामान्य सभा की बैठक :

कंपनी की पिछली वार्षिक आम बैठक अगस्त 18, 2023 को अपराहन 03.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एचएमटी भवन, 59, बेल्लारी रोड, बेंगलुरु - 560 032 में आयोजित की गई थी।

सितंबर 10, 2024 को आरओसी, कर्नाटक द्वारा जारी आदेश संख्या आरओसी/सी-पीएसीई/एसटीके-2/248(5) 2024-25/890 के अनुसार कंपनी का नाम कंपनियों के रजिस्टर से हटाने और कंपनी के विघटन के मद्देनजर चालू वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक निर्धारित नहीं है।

निदेशक एवं मुख्य प्रबन्धकीय व्यक्ति :

i) श्री जोसेफ अतुल टी. बरला, निदेशक, एमएचआई (डीआईएन : 10122179) को एमएचआई के आदेश सं. 7(3)/98-PE.IV दिनांक 03.01.2024 के तहत सुश्री सुषमा बत्रा, के स्थान पर कंपनी का सरकारी नामित निदेशक नियुक्त किया।

ii) श्री वाई. के. वैश्य (डीआईएन : 09260752) को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त

प्रभार) के रूप में पुनः दिनांक 01.08.2023 से 31.07.2024 तक एमएचआई के आदेश संख्या 6(3)/2008-PE.IV दिनांक 18.09.2023 के तहत एक साल की अवधि के लिए या कंपनी के बंद होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया गया है।

लेखा परीक्षकों की नियुक्ति :

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अंर्तगत भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मेसर्स एम. दुर्गा एवं एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, बेंगलोर को कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इस रिपोर्ट के साथ भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ संलग्न है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के अनुसार प्रकटन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 की आवश्यकताओं का अनुपालन किया और इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के अनुपालन की स्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के ऊपर आवेदन नहीं किया गया है, न ही कंपनी के खिलाफ दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कोई कार्यवाही लंबित है।

धोखाधडी रिपोर्टिंग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान धोखाधडी की कोई घटना सामने नहीं आई।

निगमित संचालन पर रिपोर्ट

भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित संचालन पर तैयार दिशानिर्देशों के अनुपालन में जो सरकारी कंपनियों पर लागू है और कंपनी अधिनियम 2013, के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अपने विघटन तक निगमित संचालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध थी और उसने उक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के लिए उचित कार्रवाई किया था।

राजभाषा का कार्यान्वयन

कंपनी ने अपने विघटन तक भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार राजभाषा अधिनियम, नियमों एवं नीति के कार्यान्वयन की दिशा में प्रयास जारी रखा।

संबंधित पार्टी लेनदेन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई भी संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति से संबंधित विवरण :

कंपनी ने लंबे समय तक कोई भी परिचालन नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप न्यूनतम व्यय हुआ। परिणामस्वरूप, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई आंतरिक लेखा परिक्षक नियुक्त नहीं किया गया। हालाँकि, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए मेसर्स उमेशा सी के और एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट की सेवाएं ली है।

निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के प्रारम्भिक कदम:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अपनी देनदारियों के भुगतान के लिए पूरी तरह से भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान पर निर्भर रही। परिणामस्वरूप, कंपनी सीएसआर गतिविधियों के लिए धन आबंटित करने की स्थिति में नहीं थी और परिचालन से कोई लाभ नहीं हुआ।

वार्षिक खाते पर विवरण:

(क) वार्षिक लेखा को तैयार करने में लागू लेखा मानकों के पालन के साथ द्रव्य विचलन से संबंधित उचित व्याख्यान दिया गया है।

(ख) कंपनी ने ऐसी लेखा नीतियों चुनी और उन्हें स्थिरता से लागू किया एवं ऐसे निर्णय तथा अनुमान लिये जो वित्तीय वर्ष के अन्त में कंपनी के मामलों की स्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी के शून्य लाभ या हानि का सही और निष्पक्ष दृश्य दिया जा सके।

(ग) कंपनी ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती थी;

(घ) वार्षिक लेखे इस बात को ध्यान में रखते हुए तैयार किये गये है कि कंपनी चालू स्थिति में नहीं है।

(ङ) कंपनी ने आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को बनाया है जिसका पालन कंपनी को करना है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है और ये प्रभावी ढंग से लागु हैं।

(च) कंपनी ने अपने पर लागु सभी नियमों के प्रावधानों के पालन हेतु उचित पद्धति बनायी है और ऐसी पद्धतियाँ पर्याप्त है और प्रभावी ढंग से काम कर रही है।

निदेशक एवं मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिक :

समीक्षाधीन वर्ष के अंतिम तिथि को, निम्नलिखित व्यक्ति कंपनी के निदेशक थे:

- श्री वाई. के. वैश्य, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
- श्री जोसेफ अतुल टी. बरला, निदेशक
- श्री कृष्णमूर्ति बी. कुलकर्णी, निदेशक
- श्री एस. के. वेंटकचार्यलु, निदेशक

कंपनी की जोखिम प्रबन्धन नीति :

कंपनी में कोई भौतिक संपत्ति नहीं थी। चूंकि कंपनी बंद होने की प्रक्रिया में थी, इसलिए जोखिम प्रबंधन नीति लागू नहीं की गई।

आभारोक्ति

कंपनी भारत सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों, विशेष रूप से भारी उद्योग विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक, सांविधिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के राज्य सरकार, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रति उनके निरंतर सहयोग और समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त करती है।

के लिए और उनकी ओर से
तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

स्थल : बैंगलोर
दिनांक : अक्तुबर 25, 2024

नोट : इस वार्षिक रिपोर्ट को निदेशक मंडल या शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, क्योंकि तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड को सितंबर 9, 2024 को कर्नाटक के कंपनियों के रजिस्ट्रर से अधिकारिक रूप से हटा दिया गया था। कंपनी को औपचारिक रूप से सितंबर 10, 2024 को जारी आदेश संख्या आरओसी/सी-पीएसीई/एसटीके-2 248(5) 2024-25/890 के माध्यम से विघटन कर दिया गया और सितंबर 14, 2024 को भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। इस वार्षिक रिपोर्ट को कंपनी अधिनियम 2013, के प्रावधानों के तहत तैयार करने की आवश्यकता नहीं है और केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
माननीय सदस्य,
तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड,
एचएमटी भवन, 59, बेल्लारी रोड, बेंगलूरु - 560 032.

स्टैंडअलोन वित्तीम विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने **तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड** (कंपनी) जिसका **CIN:U74210KA1960PLC001379** के स्व-मानकीकृत वित्तीय कथनों, जो 31 मार्च, 2024 को तुलन पत्र, लाभ और हानि के विवरण, तथा वर्ष के अंत के नकद प्रभाव विवरण और वित्तीय विवरणों के नोट जिसमें सार्थक वित्तीय नीतियों के साराँश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना सम्मिलित है।

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं और आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते है।

क. तुलन पत्र के मामले में, यथा 31 मार्च 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति :

ख. लाभ और हानि के विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ : और

ग. नकद प्रवाह विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण के मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखा परिक्षण किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारे रिपोर्ट के लेखा परीक्षक के वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी की गई नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षण के लिए प्रासंगिक हैं और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन जरूरतों और नैतिक आचार संहिता के साथ पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले :

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वह मामलें हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां :

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, इन स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और कंपनी के नकदी प्रवाह जो आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, अधिनियम के धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित हमें सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधडी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुती के लिए प्रासंगिक है जो एक सच्चे और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त होते हैं, चाहे धोखाधडी या त्रुटि के कारण।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए, प्रबंधन जिम्मेदार है जो कि कंपनी की क्षमता गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रखने का आकलन, प्रकटीकरण, जो लागू है, गोइंग कंसर्न से संबंधित मामले और गोइंग

कंसर्न को लेखांकन के आधार पर उपयोग करते हुए जब तक प्रबंधन या तो कंपनी के संचालन को समाप्त करने या बंद करने का इरादा रखते है, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं हैं।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी :

हमारा उद्देश्य यह होता है कि वित्तीय विवरणियों में कोई गलत विवरण नहीं दिया गया है तथा उचित स्थिति प्रकट करता है और सामग्री विवरण चाहे उचित हो या जालसाजी या चूक हो, से मुक्त है तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट हमारी राय के साथ प्रस्तुत करें । उच्च स्तर पर आश्वासन के साथ लेकिन गारंटी के बिना लेखा परीक्षण एसएएस के आधार पर किया जाता है जिसमें गलत विवरण होने की संभावना होती के कि अगर कोई त्रुटियां हो तो उन्हें इन वित्तिय विवरणियों के आधार पर कोई आर्थिक निर्णयों पर वैयक्तिक रुप से प्रभवित न हो।

एसएएस के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी :

- वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करना है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप हुई किसी सामग्री की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लघन शामिल हो सकता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते है।
- लेखांकन के गोइंग कंसर्न के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालें कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा साक्ष्य पर आधारित हैं।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखा निष्कर्षों के संबंध में, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित, जिसे हम अपने लेखा परीक्षा के दौरान पहचानते हैं शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करतें हैं।

हम उन लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं जिन पर शासन का दायित्व है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उन्हें उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के बारे में सूचित किया है जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर असर डालने वाले हो सकते हैं।

मामले का प्रमुखता

1. टिप्पणी सं : 13.26 - गोइंग कंसर्न

कंपनी ने लांबे समय से वाणिज्यिक परिचालन बंद कर दिया है और इसकी निवल संपत्ति पूरी तरह से क्षरित हो गई है। चूंकि कंपनी समापन की प्रक्रिया में है, इसलिए कंपनी के खातों की तैयारी, गोइंग कंसर्न बनने की अवधारणा लेखांकन मानक - 1 "लेखा नीतियों का प्रकटीकरण" के अनुसार पालन नहीं किया गया है। इसलिए, कंपनी की सभी संपत्तियों और देनदारियां रिपोर्टिंग तिथि पर शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर पुनर्मूल्यांकन किया गया है।

2. हमने देखा कि कंपनी ने कर्मचारियों को हर महीने कैंटीन सब्सिडी, मोबाइल खर्च और ओवरटाइम खर्च के लिए निश्चित राशि की प्रतिपूर्ति की है, जो बिना किसी सहायक वाउचर के 2.72 लाख रुपये है। हमने यह भी देखा कि खर्चों के बीच कोई द्विभाजन नहीं है। हालांकि भुगतान की मंजूरी प्रबंधन ने दे दी है।

3. हमने देखा कि कंपनी ने स्त्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के भुगतान मे पूर्व वर्षों में रुपये 1.67 लाख की चूक की है। इस गैर-अनुपालन का कंपनी की वित्तीय स्थिति और नियामक दायित्वों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी की गई कंपनी आदेश (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) 2020 द्वारा यथा अपेक्षित और कंपनी की लेखा-बहियों और अभिलेखों की जांच के आधार पर, जैसे कि हमने उचित समझा है और हमें दी गई सूचना पैरा 3 एवं 4 एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार **अनुलग्नक ए** में विवरण दिया है।

कंपनी अधिनियम के धारा 143(3) के अंतर्गत, हम रिपोर्ट करते है

(क) लेखा परीक्षा के जरुरी कागजात तथा आवश्यक जानकारी हमें दी गई स्पष्टीकरण के आधार पर हमने प्राप्त की है।

(ख) हमारी राय में खाते की उचित पुस्तकों लागु नियम की आवश्यकता के अनुसार कंपनी द्वारा अब तक रखा गया है उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट हुआ है;

(ग) चूंकि कंपनी की कोई शाखा कार्यालय नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3) का खंड (सी) लागू नहीं है।

(घ) इस रिपोर्ट द्वारा दी गई तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण कंपनी द्वारा रखे गए खातों की पुस्तकों के साथ समझौता का निपटान कर रहे हैं।

(ङ) हमारी राय में, उपरोक्त स्टेंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133, कंपनी के नियम 7 (लेखा) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाए के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

(च) हमारे पास वित्तीय लेनदेन या ऐसे मामलों पर लेखा परीक्षकों की कोई टिप्पणी नहीं है जिसका कंपनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पडती है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3) का खंड (एफ) लागू नहीं है।

(छ) अधिनियम की धारा 164(2) के अंतर्गत निदेशकों द्वारा प्रकटिकरण प्राप्त हुआ कि 31 मार्च 2024 को नियुक्तित कोई निदेशक अयोग्य नहीं है तथा इसे बोर्ड निदेशकों ने रिकार्ड में लिया कि 31.3.2024 को कोई निदेशक अयोग्य नहीं है ।

(ज) हमारे पास खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों के संबंध में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

(झ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (1) के तहत इस तरह के नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में, **अनुलग्नक बी** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

(ञ) अन्य मामलों में शामिल होने के संबंध में नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट कंपनियों (ऑडिट और लेखा परीक्षक) नियम, 2014, में हमारी राय और हमारी सबसे अच्छी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार

क) कंपनी के पास कोई भी लंबित मुकदमे नहीं हैं जो उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हों

ख) कंपनी के पास व्युत्तपन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए किसी भी तरह की सामग्री नुकसानदेय थी; तथा

ग) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष को कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

घ) (i) अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के साथ प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, जैसा कि बही खातों में प्रकट किया गया है, के अलावा कोई भी धन अग्रिम या ऋण या निवेश (ना तो उधार ली

गई धनराशि ना ही शेयर प्रीमियम ना ही कोई अन्य स्त्रोतों ना ही कोई भी प्रकार की निधियों) कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (यों) में, विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थ) सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, चाहे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करें या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह का कुछ प्रदान करें;

(ii) अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के साथ प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, जैसा कि बही खातों में प्रकट किया गया है, के अलावा, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति (यों) या संस्था (ओं) से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टियां) सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि फंडिंग पार्टि, चाहे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी (अंतिम लाभार्थी), द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करें या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह का कुछ प्रदान करें;

(iii) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिसके कारण हमें विश्वास ना हो कि उप-धारा (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण शामिल है।

ङ) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।

एफ) कंपनी ने अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया है जिसमें ऑडिट ट्रायल सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है और इसे सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचलित किया गया है और ऑडिट ट्रायल को कंपनी द्वारा रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार संरक्षित नहीं किया गया है।

4. इस अनुभाग के तहत ऑडिट रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले किसी भी मामले की आवश्यकता नहीं है जिसका उत्तर नकारात्मक या योग्यता के साथ दिया गया है, इसलिए धारा 143(4) लागू नहीं है।

5. अधिनियम की धारा 143 (5) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. कंपनी के पास दस्तावेजों के साक्ष्य द्वारा समर्थित आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की व्यवस्था है और आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन की कोई प्रक्रिया नहीं है और इसलिए, कंपनी पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

2. भारी उद्योग मंत्रालय ने पत्र संख्या No.F.6 (3)/PE.IV/CPSE-11 दिनांक 29.01.2024 के माध्यम से टीएसपीएल की पुस्तकों में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत सरकार के ऋणों को बट्टे खाते में डालने की मंजूरी से ऋणों को अनुदान मे बदल दिया है। तदनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अपनी पुस्तकों में इसे बट्टे खाते में डाल दिया है और वित्तीय वर्ष के अंत में भारत सरकार पर देय कोई बकाया ऋण नहीं है।

3. कंपनी को वर्ष के दौरान भारत सरकार से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

कृते एम दुर्गा एवं असोसियेट्स
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 011925एस)

महेश दुर्गा
भागीदार
सदस्यता संख्या:212057
यूडीआईएन : 24212057BKALFJ3887

स्थान : बेंगलोर
दिनांक : 31/07/2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के दिनांक 25.06.2024 पर वित्तीय विवरण का अनुलग्नक

अनुलग्नक ए : कंपनी (ऑडिटर की रिपोट) आदेश, 2020 के तहत रिपोर्ट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में उल्लेखित अनुलग्नक, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. माननीय भारत सरकार के निर्णय के आधार पर, कंपनी ने एमएसटीसी ई-नीलामी के माध्यम से विगत वर्षों में सभी चल संपत्ति जिनमें संपत्ति, संयंत्र और मशीनरी और अन्य चल संपत्तियां शामिल है का निपटान किया है।

   क) 31.03.2024 को कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है।

   ख) इस तथ्य के कारण कि कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, अचल संपत्ति के भौतिक सत्यापन का नियमित कार्यक्रम कंपनी पर लागू नहीं होता है।

   ग) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है।

   घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर और उपरोक्त बिंदुएं (ए), (बी) और (सी) की निरंतरता में, कंपनी के पास कोई संपत्ति नहीं है और ऑडिट के तहत वर्ष के दौरान कोई नई संपत्ति अर्जित नहीं की गई है। इसलिए कंपनी की परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन की बात कंपनी पर लागू नहीं होता है।

   ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी संपत्ति निषेध लेनदेन अधिनियम, 1988 और नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

2. क) कंपनी ने बहुत पहले ही वाणिज्यिक परिचालन बंद कर दिया है। कंपनी के पास कोई इन्वेंटरी नहीं हैं, तदनुसार, प्रबंधन द्वारा इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन लागू नहीं है।

   ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को अन्य वर्तमान संपत्ति के आधार पर बैंकों से कुल मिलाकर पाँच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। इसलिए हमारी राय में, आदेश का खंड 3 (ii) (बी) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

3. वर्ष के दौरान, अधिनियम की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल किसी भी कंपनी, फर्मों, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या अन्य पार्टियों में कंपनी ने निवेश नहीं किया, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं किया, सुरक्षित या असुरक्षित प्रकृति के ऋणों में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3 (iii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

4. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 के तहत निर्दिष्ट, कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है ना ही कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निर्दिष्ट, कंपनी ने कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। तदनुसार, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

5. कंपनी ने जमा या ऐसी राशि स्वीकार नहीं की है जिसे वर्ष के दौरान जनता से जमा माना जाता है और 31 मार्च 2024 तक कोई जमा राशि नहीं है और इसलिए, आदेश का खंड 3 (v) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अनुसार कंपनी पर लागत रिकॉर्ड का रखरखाव लागू नहीं है और इसलिए, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

7. वैधानिक देय राशि के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार :

क) कंपनी के रिकॉर्ड की जांच करने पर, यह पाया गया है कि आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर और अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक दायित्वों सहित अविवादित वैधानिक बकाया के लिए खाते की किताबों में कटौती की गई या अर्जित की गई राशि पूरे वर्ष उपयुक्त प्राधिकारियों के पास लगातार जमा किया गया है।

ख) 31 मार्च 2024 तक हमने स्त्रोत पर कर कटौती में रु. 1.67 लाख की चूक देखी है।

8. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी लेन-देन का सरेंडर या खुलासा नहीं किया है, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में जो पहले खाते की किताबों में आय के रूप में दर्ज नहीं किया गया था।

9. ऋण और उधार के संबंध में

क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या डिबेंचर धारकों को देय राशि के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या सरकारी प्राधिकरण द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

ग) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान से कोई सावधि ऋण नहीं लिया है।

घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी की बैलेंस शीट की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि अल्पावधि के आधार पर जुटाए गए किसी भी निधी का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी की कोई सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है। इसलिए, आदेश का खंड 3(ix)(ई) लागू नहीं होता है।

च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी की कोई सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है। इसलिए, आदेश का खंड 3(ix)(एफ) लागू नहीं होता है।

10. शेयर जारी करने के संबंध में

क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण साधन सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी ने कोई अधिमान्य आबंटन नहीं किया है।

11. धोखाधड़ी के संबंध में हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते है:

क) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई वास्तविक धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार के साथ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप धारा (12) के तहत कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म ADT-4 में रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को कोई व्हिसिल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए, आदेश का खंड 3(xi)(सी) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

12. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश का खंड 3 (xiii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होता है।

13. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी कुछ हद तक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन और संबंधित पक्ष लेनदेन के विवरण का खुलासा वित्तीय विवरणों में लागू लेखांकन मानकों के अनुसार किया गया है।

14. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, खंड 3(xiv) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

15. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या इसके निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है और इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

16. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

17. चालू वर्ष में कंपनी को रु. 8.45 करोड़ का नकद घाटा और तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में रु. 19.80 लाख का नकद मुनाफा हुआ है।

18. वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों से कोई त्यागपत्र नहीं लिया गया है। इसलिए, आदेश का खंड 3(xviii) लागू नहीं होता है।

19. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात के आधार पर, उम्र बढ़ने और वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तारीखों और वित्तीय देनदारियों के भुगतान, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल का हमारा ज्ञान और प्रबंधन योजनाओं की हमारी जांच के आधार पर, हम मानते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख पर कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है कि कंपनी ने अपनी सभी देनदारियों को पूरा कर लिया है, बैलेंस शीट की तारिख पर कोई बकाया देनदारियां नहीं है।

20. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 कंपनी पर लागू नहीं होती है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xx)(a) और 3(xx)(b) लागू नहीं होते है।

21. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी की कोई सहयक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है। इसलिए, वित्तीय विवरणों का समेकन और आदेश का खंड 3(xxi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कृते एम दुर्गा एण्ड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 011925एस)

महेश दुर्गा
भागीदार
सदस्यता संख्या:212057
यूडीआईएन :24212057BKALFJ3887

स्थान : बेंगलोर
दिनांक : 31/07/2024

अनुलग्नक बी : स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का दिनांक 25.06.2024 को तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ 31.03.2024 की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधकों का उत्तरदायित्व:

कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल, जो भारत में शामिल की गई है भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर निर्देश-टिप्पणी में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित वित्तीय नियंत्रण की स्थापना और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। अधिनियम के तहत अपेक्षित इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रख-रखाव, कंपनी के नीतियों के अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और उसका पता लगाने सहित, अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और समय पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारी तैयार करना शामिल है।

लेखा परीक्षकों की उत्तरदायित्व:

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा-परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग (गाइडेंस नोट) और ऑडिटिंग के मानकों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार लेखा परीक्षा किया, जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित माना गया, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू होते हैं और भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और निर्देश-टिप्पणी के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और अनुपालन और लेखा परीक्षा का पालन करें ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित हो सके और बनाए रखा जा सके और यदि इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में कारगर ढंग से संचालित हों तो इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करें।

हमारे लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके ऑपरेटिंग प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम कम करने की स्थिति का आकलन करना और मूल्यांकन, जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती है, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, जिसमें वित्तीय विवरणों के प्रत्यक्ष गलत विवरण के जोखिम का आकलन शामिल हैं।

हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ:

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए, एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल करता है जो

(1) रिकॉर्ड के रख रखाव से संबंधित है, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देते हैं;

(2) उचित आश्वासन देते हैं कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार कंपनी की प्राप्तियां और व्यय बनाये जा रहे हैं; और

(3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान समय पर पहचान या रोकथाम के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं:

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, संगठित या अनुचित प्रबंधन नियंत्रणों की ओवर राइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयान हो सकता है, जिसका पता नहीं किया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान जोखिम के अधीन है, जो कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में होने वाले परिवर्तनों की वजह से अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का परिमाण खराब हो सकता है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर 31.03.2022 तक प्रभावी ढ़ंग से चल रहे थे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर कंपनी द्वारा स्थापित मानदंड का विचार करते है।

कृते एम दुर्गा एण्ड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 011925एस)

महेश दुर्गा
भागीदार
सदस्यता संख्या:212057
यूडीआईएन :24212057BKALFJ3887

स्थान : बेंगलोर
दिनांक : 31/07/2024

सांविधिक लेखापरीक्षक के अवलोकन और प्रबंधन उत्तर

क्र. स.	स्वांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रेक्षण	प्रबंधन के उत्तर
1.	**टिप्पणी सं : 13.26 - गोइंग कंसर्न** कंपनी ने लांबे समय से वाणिज्यिक परिचालन बंद कर दिया है और इसकी निवल संपत्ति पूरी तरह से क्षरित हो गई है। चूंकि कंपनी समापन की प्रक्रिया में है, इसलिए कंपनी के खातों की तैयारी, गोइंग कंसर्न बनने की अवधारणा लेखांकन मानक - 1 ङ्गलेखा नीतियों का प्रकटीकरणङ्घ के अनुसार पालन नहीं किया गया है। इसलिए, कंपनी की सभी संपत्तियों और देनदारियां रिपोर्टिंग तिथि पर शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर पुनर्मूल्यांकन किया है।	जैसा कि देखा गया है कि कंपनी समापन की प्रक्रिया में है, कंपनी की सभी संपत्तियां और देनदारियां शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर बहाल की गई है और रिपोर्टिंग तिथि पर कंपनी के खातों की तैयारी के लिए गोइंग कंसर्न की अवधारणा का पालन नहीं किया गया है।
2.	हमने देखा कि कंपनी ने कर्मचारियों को हर महीने कैंटीन सब्सिडी, मोबाइल खर्च और ओवरटाइम खर्च के लिए निश्चित राशि की प्रतिपूर्ति की है, जो बिना किसी सहायक वाउचर के 2.72 लाख रुपये है। हमने यह भी देखा कि खर्चों के बीच कोई द्विभाजन नहीं है। हालांकि भुगतान की मंजूरी प्रबंधन ने दे दी है।	कंपनी समापन की प्रक्रिया में है और टीएसपीएल के पास वित्त पृष्ठभूमि वाला कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, समीक्षा अवधि के दौरान नाममात्र खर्च किए गए और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेने के बाद उसका लेखांकन किया गया है।
3.	हमने देखा कि कंपनी ने स्त्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के भुगतान मे पूर्व वर्षों में रुपये 1.67 लाख की चूक की है। इस गैर-अनुपालन का कंपनी की वित्तीय स्थिति और नियामक दायित्वों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।	कंपनी समापन की प्रक्रिया में है और आयकर सहित अपनी देनदारियों के भुगतान के लिए पूरी तरह से भारत सरकार की वित्तीय सहायता पर निर्भर है।

निदेशक मंडल की आज्ञा से
तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड

ह/-
(वाई. के. वैश्य)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलोर
दिनांक : 31/07/2024

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (बी) के अधीन 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों पर भारत के महा लेखा नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की टीका-टिप्पणी :

मैं, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की ओर से 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु, तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, के लेखा पर सांविधिक लेखा-परीक्षकों 139(5) की रिपोर्ट की समीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है अतएव कम्पनी अधिनियम 2013 के धारा 143 तहत हमारी कोई भी टिप्पणी नहीं हैं। इस अनुपुरक लेखा परीक्षा को कंपनी के वैयक्तिक एवं नियोजित लेखा रिकार्ड के परीक्षा के आधार पर किया गया है। मेरे लेखापरीक्षा के आधार पर एवं कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 143(10) के अनुसार निम्नांकित मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करते हुए एवं इस पर मेरे विचार निम्न प्रकार है। ऐसा कहा गया है कि, यह उनके द्वारा 31 जुलाई 2024 की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखा परीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं
महा लेखा-परीक्षक की ओर

C. Sailaja

(सी. सैलजा)
वाणिज्य लेखा परीक्षा के मुख्य निदेशक
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड, हैदराबाद

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 18 अक्तुबर 2024

यथा 31 मार्च 2024 को तुलन पत्र

(₹ लाखों में)

	टिप्पणी	यथा 31.03.2024 को		यथा 31.03.2023 को	
I. इक्विटी एवं देयताएं					
1. अंशधारियों की निधियाँ	**1**				
(ए) अंश पूँजी		843.50		843.50	
(बी) संचित एवं अधिशेष		(843.50)		(10,704.57)	
(सी) शेयर वारंट के बदले धन प्राप्त		-		-	
(डी) शेयर आवेदन से धन प्राप्त		-		-	
			(0.00)		**(9,861.07)**
2. गैर चालू देयताएं	**2**				
(ए) दीर्घकालिन ऋण		-		5,392.00	
(बी) आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)		-		-	
(सी) अन्य दीर्घकालिन देयताएं		-		-	
(डी) दीर्घकालिन प्रावधान		-		-	
			-		**5,392.00**
3. चालू देयताएं	**3**				
(ए) अल्पकालिन ऋण		-		-	
(बी) व्यापार देयताएं					
एसएमई को बकाया राशि		-		-	
एसएमई के अलावा अन्य को बकाया राशि		-		-	
(सी) अन्य चालू देयताएं		-		5,525.07	
(डी) अल्पकालिन प्रावधान		-		0.32	
			-		**5,525.39**
कुल			-		**1,056.32**
II परिसंपत्तियां					
4. गैर चालू परिसंपत्तियां	**4**				
(ए) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियां					
(i) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण		-		-	
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		-		-	
(iii) पूंजी कार्य प्रगति पर		-		-	
(iv) विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां		-		-	
(बी) गैर चालू निवेश		-		-	
(सी) आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)		-		-	
(डी) दीर्घकालिन ऋण एवं अग्रिम		-		-	
(ई) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां		-		-	
			-		-

यथा 31 मार्च 2024 को तुलन पत्र

(₹ लाखों में)

	टिप्पणी	यथा 31.03.2024 को		यथा 31.03.2023 को	
5. चालू परिसंपत्तियां	**5**				
(ए) चालू निवेश		-		-	
(बी) इन्वेंटरी		-		-	
(सी) ट्रेड प्राप्य		-		-	
(डी) नकद और नकदी समतुल्य		-		1,048.82	
(ई) अल्पकालिन ऋण एवं अग्रिम		-		-	
(एफ) अन्य चालू परिसंपत्तियां		-		7.50	
			-		**1,056.32**
कुल			-		**1,056.32**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और खातों के लिए नोट	**13**				

हमारे सम दिनांक के रिपार्ट के अनुसार
कृते एम. दुर्गा एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन संख्या:011925S

महेश दुर्गा
भागीदार
सदस्यता संख्या:212057

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
सीआईएन : U74210KA1960PLC001379

कृष्णमूर्ति बी. कुलकर्णी
निदेशक
डीआईएन : 09426657

योगेंद्र कुमार वैश्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09260752

स्थान : बेंगलोर
दिनांक : 31/07/2024
यूडीआईएन : 24212057BKALFJ3887

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा

(₹ लाखों में)

		टिप्पणी	यथा 31.03.2023 को		यथा 31.03.2022 को	
निरंतर संचालन						
I.	प्रचालन से राजस्व	**6**	-		-	
II.	अन्य आय	**7**	5,430.72		42.11	
II.	**कुल राजस्व (I + II)**			5,430.72		42.11
IV.	**व्यय**					
	खपत सामग्री की लागत	**8**	-		-	
	तैयार माल, प्रगती में कार्य एवं स्टॉक-इन-ट्रेड के इन्वेंटरी में परिवर्तन	**9**	-		-	
	कर्मचारी लाभ व्यय	**10**	-		-	
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		-		-	
	वित्तीय लागत	**11**	-		0.01	
	प्रशासन और अन्य व्यय	**12**	22.16		22.31	
	कुल व्यय			22.16		22.31
V.	असाधारण और असाधारण वस्तओं और कर पूर्व लाभ (III-IV)			5,408.57		19.80
VI.	असाधारण मदें			-		-
VII.	असाधारण वस्तओं और कर पूर्व लाभ (V-VI)			5,408.57		19.80
VIII.	असाधारण मदें			-		-
IX.	कर पूर्व लाभ (VII-VIII)			5,408.57		19.80
X.	**कर व्यय**					
	(1) वर्तमान कर		861.21		-	
	(2) स्थगित कर		-		-	
	(3) पिछले साल का कर (Note 13.25)		-		-	
				861.21		-
XI.	**कर पश्चात लाभ (IX - X)**			**4,547.36**		**19.80**
XII.	बंद किए गए प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ / (हानि)			-		-
XII.	बंद किए गए प्रचालनों से कर व्यय			-		-
XIV.	बंद किए गए प्रचालनों के लिए लाभ / (हानि) (कर पश्चात) (XII-XIII)			-		-
XV.	**अवधि के लिए लाभ / (हानि) (XI + XIV)**			**4,547.36**		**19.80**
XVI.	**प्रति इक्विटी पर उपार्जन:**					
	(1) मूल			0.05		0.00
	(2) डायल्यूटेड			0.05		0.00

वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियों को देखें **13**

हमारे सम दिनांक के रिपार्ट के अनुसार
कृते एम. दुर्गा एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन संख्या:011925S

महेश दुर्गा
भागीदार
सदस्यता संख्या:212057
स्थान : बेंगलोर
दिनांक : 31/07/2024
यूडीआईएन : 24212057BKALFJ3887

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
सीआईएन : U74210KA1960PLC001379

कृष्णमूर्ति बी. कुलकर्णी
निदेशक
डीआईएन : 09426657

योगेंद्र कुमार वैश्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09260752

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणियां

(₹ लाखों में)

	2023-2024	2022-2023
संचालनीय गतिविधियों से प्राप्त रोकड		
कराधान से पहले लाभ	5,408.57	19.80
के लिए समायोजन :		
जोडिए :		
मूल्यह्रास	-	-
वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए भुगतानित कर	-	-
वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए भुगतानित कर	-	-
घटाए :		
ब्याज आय	(38.72)	(42.11)
अनुदान-सहायता छूट से आय	(5,392.00)	
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन:		
व्यापार और अन्य प्राप्य में (वृद्धि) / कमी	-	-
इन्वेंटरी में (वृद्धि) / कमी	-	-
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	7.50	(2.99)
अल्पकालिन ऋण एवं अग्रिम में (वृद्धि) / कमी	-	-
दीर्घकालिन ऋण एवं अग्रिम में (वृद्धि) / कमी	-	-
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	-	(0.01)
अन्य चालू देनदारियों में (वृद्धि) / कमी	(5,525.07)	(17.17)
अन्य ट्रेड देनदारियों में (वृद्धि) / कमी	-	-
अल्पकालिन प्रावधानों में (वृद्धि) / कमी	(0.32)	(0.03)
संचालन से उत्पन्न रोकड	**(5,540.04)**	**(42.51)**
ब्याज भुगतान	-	-
वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए भुगतानित कर	(861.21)	-
संचालनीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड	**(6,401.25)**	**(42.51)**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
ब्याज आय	38.72	42.11
निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया कुल नकद	**38.72**	**42.11**
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
भूमि की बिक्री से प्राप्त आय को आरक्षित एवं अधिशेष में स्थानांतरित करना	5,522.88	-
आरक्षित एवं अधिशेष में स्थानांतरण से प्राप्त आय	(4.85)	-
एफ डी से प्राप्त आय		
बैंक बैलेंस को भारत की समेकित निधि में स्थानांतरित करना	(204.33)	
वित्तपोषण गतिविधियों में उपयोग किया गया कुल नकद	**5,313.70**	**-**
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि	**(1,048.83)**	**(0.40)**
अवधि की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	**1,048.82**	**1,049.21**
अवधि की अंत में नकद और नकद समकक्ष	**0.00**	**1,048.82**

हमारे सम दिनांक के रिपार्ट के अनुसार
कृते एम. दुर्गा एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन संख्या:011925S

महेश दुर्गा
भागीदार
सदस्यता संख्या:212057
स्थान : बेंगलोर
दिनांक : 31/07/2024
यूडीआईएन : 24212057BKALFJ3887

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
सीआईएन : U74210KA1960PLC001379

कृष्णमूर्ति बी. कुलकर्णी
निदेशक
डीआईएन : 09426657

योगेंद्र कुमार वैश्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09260752

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
टिप्पणी संख्या 1(ए) - शेयर पूँजी		
अधिकृत शेयर पूँजी :		
प्रत्येक 1000 रुपये के 1,00,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 1000 रुपये के 1,00,000 इक्विटी शेयर)	**1,000.00**	1,000.00
निगमित, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूँजी :		
प्रत्येक 1000 रुपये के 84,350 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 1000 रुपये के 84,350 इक्विटी शेयर)	**843.50**	843.50
कुल	**843.50**	843.50

शेयर का विच्छेद

विवरण	यथा 31 मार्च 2024 को		यथा 31 मार्च 2023 को	
	संख्या	रकम	संख्या	रकम
वर्ष की शुरुआत में बकाया शेयर	84,350	843.50	84,350	843.50
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष की अंत में बकाया शेयर	**84,350**	**843.50**	**84,350**	**843.50**

शेयरधारक का विवरण

इक्विटी शेयर पूँजी

शेयरधारक का नाम	यथा 31 मार्च 2024 को		यथा 31 मार्च 2023 को	
	शेयर की संख्या	धारक का %	शेयर की संख्या	धारक का %
भारत सरकार	66,900	79.32%	66,900	79.32%
आंध्र प्रदेश सरकार	10,050	11.91%	10,050	11.91%
कर्नाटक सरकार	7,400	8.77%	7,400	8.77%
कुल	**84,350**	**100.00%**	**84,350**	**100.00%**

अधिमान शेयर पूँजी

शेयरधारक का नाम	यथा 31 मार्च 2024 को		यथा 31 मार्च 2023 को	
	शेयर की संख्या	धारक का %	शेयर की संख्या	धारक का %
शून्य				
कुल	-	-	-	-

ii) संवर्धक का शेयरधारण

क्र.	शेयरधारक का नाम	वर्षारंभ में शेयरधारण			वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	वर्षांत में शेयरधारण			वर्ष के दौरान धारक का %
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	% शेयरों की कंपनी के कुल शेयरों का भारग्रस्त बंधित		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	% शेयरों की कंपनी के कुल शेयरों का भारग्रस्त बंधित	
1.	भारत सरकार	66900	79	शून्य		66900	79	शून्य	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश सरकार	10050	12	शून्य		10050	12	शून्य	शून्य
3.	कर्नाटक सरकार	7400	9	शून्य		7400	9	शून्य	शून्य

iii) संवर्धक के शेयरधारण में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन न हो, तो भी उसका उल्लेख करें) - कोई परिवर्तन नहीं

क्र.		वर्षारंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष की शुरुआत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान वृध्दि घटाव के कारण का उल्लेख करते हुए संवर्धक के शेयरधारण की तारीखवार वृध्दि घटाव उदा आबंटन हस्तांतरण बोनस स्वीट इक्विटी आदि	0	0	0	0
	वर्षांत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iv) प्रथम दस शेयरधारकों का शेयरधारण का प्रतिमान (निदेशक, संवर्धक तथा जीडीआर व एडीआर धारकों के अतिरिक्त)

क्र.	शेयरधारक का नाम	वर्षारंभ में शेयरधारण		तारिख	शेयरधारिता में वृद्धि / कमी	कारण	वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	भारत सरकार	66900	79	-	-	-	66900	79
2.	आंध्र प्रदेश सरकार	10050	12	-	-	-	10050	12
3.	कर्नाटक सरकार	7400	9	-	-	-	7400	9

टिप्पणी संख्या 1(बी) - आरक्षित और अधिशेष

- लाभ एवं हानि लेखा		
- प्रारंभिक शेष	(10,704.57)	(10,724.36)
जोडिए : वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए भुगतानित कर	(0.85)	
जोडिए : भूमि की बिक्री से प्राप्त आय को आरक्षित एवं अधिशेष में स्थानांतरित करना	5,522.88	
जोडिए : वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	4,547.36	19.80
जोडिए : अन्य समायोजन	(4.00)	
जोडिए : बैंक बैलेंस को भारत की समेकित निधि में स्थानांतरित करना	(204.33)	
	(843.50)	(10,704.57)
घटाइए : प्रस्तावित लाभांश	-	-
लाभांश वितरण कर के लिए प्रावधान	-	-
अंतिम शेष	(843.50)	(10,704.57)
सरकारी अनुदान	-	-
कुल	**(843.50)**	**(10,704.57)**

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
टिप्पणी संख्या 2(ए) - दीर्घकालिन उधार		
- असुरक्षित ऋण	-	-
भारत सरकार से अवधि ऋण	-	5,392.00
कुल	**-**	**5,392.00**
टिप्पणी संख्या 2(बी) - दीर्घकालिन प्रावधान		
दीर्घकालिन प्रावधान	-	-
कुल	**-**	**-**
टिप्पणी संख्या 3(ए) - अल्पकालिन उधार		
अल्पकालिन उधार	-	-
कुल	**-**	**-**
टिप्पणी संख्या 3(बी) - ट्रेड देय		
लेनदारों - आपूर्तिकर्ताओं और अन्य	-	-
कुल	**-**	**-**

व्यापार देय उम्र बढ़ने की अनुसूची

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया है						
	बिल नहीं किया	भुगतान देय नहीं है	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	तीन वर्ष से ज्यादा	कुल
(i) एमएसएमई							
(ii) अन्य							
(iii) विवादित बकाया - एमएसएमई							
(iv) विवादित बकाया - अन्य							

टिप्पणी संख्या 3(सी) - अन्य चालू देनदारियां		
अन्य देनदारियां		
- भारत सरकार को देय	-	5,522.88
- ठेकेदारों और अन्य से जमा	-	-
- अन्य देनदारि	-	2.04
- वैधानिक बकाया	-	0.15
कुल	**-**	**5,525.07**
टिप्पणी संख्या 3(डी) - अल्पकालिन प्रावधान		
आयकर के लिए प्रावधान	-	-
लेखा परीक्षा शुल्क के लिए प्रावधान	-	0.32
कुल	**-**	**0.32**
टिप्पणी संख्या 4(डी) - दीर्घकालिन ऋण एवं अग्रिम		
- सुरक्षा जमा	-	-
घटाइए : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
कुल	**-**	**-**

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
टिप्पणी संख्या 4(ई) - अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां		
लाइसेंस शुल्क प्राप्त	-	-
कुल	**-**	**-**
टिप्पणी संख्या 5(बी) - इन्वेंटरी	-	-
कुल	**-**	**-**
टिप्पणी संख्या 5(सी) - ट्रेड प्राप्य		
- भुगतान के लिए देय तिथि से 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए ट्रेड प्राप्य बकाया है	-	-
- अन्य ट्रेड प्राप्य - असुरक्षित और अच्छा माना गया है	-	-
घटाइए : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	-	-
कुल	**-**	**-**

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया है							
	देय नहीं	बिल न किया गया राजस्व	छह माह से कम	छह माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	तीन वर्ष से ज्यादा	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है								
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माना जाता है								
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है								
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माना जाता है								

टिप्पणी संख्या 5(डी) - नकद और नकद समकक्ष		
नकद (पास में)	-	-
बैंक में नकद		
चालू खाते	-	5.56
मियादी जमा	-	1,043.26
कुल	**-**	**1,048.82**
टिप्पणी संख्या 5(ई) - अल्पकालिन ऋण एवं अग्रिम		
कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम	**-**	**-**
कुल	**-**	**-**
टिप्पणी संख्या 5(एफ) - अन्य चालू परिसंपत्तियां		
सरकारी अधिकारियों के पास शेष राशि	-	-
बैंक और अन्य जमा पर ब्याज अर्जित	-	3.30
टीडीएस प्राप्य	-	4.21
अन्य	-	-
कुल	**-**	**7.50**

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
टिप्पणी संख्या 6 - प्रचालन से राजस्व		
उत्पादों की बिक्री	-	-
सेवाओं की बिक्री	-	-
कुल	-	-
टिप्पणी संख्या 7 - अन्य आय		
ब्याज आय	38.72	42.07
आयकर रिफंड पर ब्याज	-	0.04
पिछले वर्ष बट्टे खाते में डाला गया ब्याज अब प्राप्त हुआ	-	-
अन्य आय (प्रवधान की अब आवश्यकता नहीं है)	5,392.00	-
कुल	**5,430.72**	**42.11**
टिप्पणी संख्या 8 - खरीदी गई सामग्री की लागत		
सामग्री की खरीदी	-	-
कुल	-	-
टिप्पणी संख्या 9 - तैयार माल, प्रगति में कार्य एवं स्टॉक-इन-ट्रेड के इन्वेंटरी में परिवर्तन		
प्रारंभिक माल :		
- कच्चा माल	-	-
- प्रगति में कार्य	-	-
- तैयार माल	-	-
	-	-
अंतिम माल :		
- कच्चा माल		
- प्रगति में कार्य	-	-
- तैयार माल	-	-
	-	-
वृद्धि / (कमी)	-	-
टिप्पणी संख्या 10 - कर्मचारी लाभ व्यय		
कर्मचारी लाभ	-	-
कुल	-	-
टिप्पणी संख्या 11 - वित्तीय लागत		
पर ब्याज		
भारत सरकार का ऋण	-	-
अन्य	-	-
बैंक प्रभार	-	0.01
कुल	-	**0.01**
टिप्पणी संख्या 12 - प्रशासन और अन्य व्यय		
प्रशासन व्यय		
किराया	7.96	9.52
दर एवं कर	3.53	1.42
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	0.15	0.50
कानूनी और पेशेवर शुल्क	-	-
डाक और टेलीफोन खर्च	-	-
मुद्रण और लेखा सामग्री	0.36	0.88
परामर्श खर्च	4.76	7.15
वाहन और कैन्टीन भत्ता	4.62	1.74
विविध व्यय (एमसीए शुल्क)	0.79	1.10
कुल	**22.16**	**22.31**

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मूल्यह्रास का विवरण

टिप्पणी संख्या 4 - गैर चालू परिसंपत्तियां - (ए) संपत्ति, सयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

परिसंपत्ति का नाम	सकल खंड			मूल्यह्रास			कुल खंड	
	यथा 01.04.2023	वर्ष के दौरान परिवर्धन	यथा 31.3.2024	31.3.2023 तक	वर्ष के लिए	31.03.2024 तक	यथा 31.03.2023	यथा 31.3.2024
i) संपत्ति, सयंत्र और उपकरण								
पूर्ण स्वामित्ववाली भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-	-	-	-
कार्यशाला एवं यंत्र	-	-	-	-	-	-	-	-
मिनी हाइडल पावर प्लांट	-	-	-	-	-	-	-	-
विद्युत संस्थापन तथा उपस्कर	-	-	-	-	-	-	-	-
वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-
कार्यालय तथा डिजाइन उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-
फर्नीचर व फिक्सचर	-	-	-	-	-	-	-	-
डाटा प्रोसेसिंग उपस्कर	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-
अमूर्त अचल परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल खंड	-	-	-	-	-	-	-	-

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
सीआईएन : U74210KA1960PLC001379

योगेंद्र कुमार वैश्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09260752

स्थान : बेंगलोर
दिनांक : 31/07/2024

अतिरिक्त प्रकटीकरण

(i) अचल संपत्ति का शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर नहीं है

बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति की वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम से धारित शीर्षक विलेख	क्या शीर्षक विलेख धारक प्रवर्तक/निदेशक या प्रवर्तक*/निदेशक का रिश्तेदार या प्रवर्तक/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम पर धारित न होने के कारण**
पीपीई -	भूमि भवन	-	-	-	-	-
संपत्ति में निवेश -	भूमि भवन	-	-	-	-	-
पीपीई सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त और निपटान के लिए रखा गया	भूमि भवन	-	-	-	-	-
अन्य		-	-	-	-	-

(ii) पूंजी-कार्य-प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी)

(ए) सीडब्ल्यूआईपी उम्र बढ़ने की अनुसूची **(रकम रु. में)**

सीडब्ल्यूआईपी	सीडब्ल्यूआईपी में राशि - अवधि के लिए				कुल*
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
परियोजनाएं प्रगति पर					
परियोजनाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया					

(बी) पूंजी-कार्य-प्रगति के लिए, जिसका पूरा होना अतिदेय है या इसकी लागत इसकी मूल योजना की तुलना में अधिक है।

सीडब्ल्यूआईपी	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा
परियोजना 1				
परियोजना 2				

** परियोजनाओं का विवरण जहां गतिविधि की गई है

(iii) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति :

(ए) विकास उम्र बढ़ने की अनुसूची के तहत अमूर्त संपत्ति

विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	सीडब्ल्यूआईपी में राशि - अवधि के लिए				कुल*
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	
परियोजनाएं प्रगति पर					
परियोजनाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया					

* बैलेंस शीट में विकास के तहत अमूर्त संपत्ति की राशि के साथ कुल मिलान होगा।

(बी) विकास के तहत अमूर्त संपत्तियों के लिए, जिनकी पूर्णता अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गई है, विकास पूर्णता अनुसूची के तहत निम्नलिखित अमूर्त संपत्तियां दी जाएंगी**

विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा
परियोजना 1				
परियोजना 2*				

(iv) प्रवर्तकों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों (जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत परिभाषित किया गया है) को या तो अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रुप से ऋण या अग्रिम दिए जाते है, जो है :

ए) मांग पर चुकाने योग्य या

बी) चुकौती की कोई शर्तें या अवधि निर्दिष्ट किए बिना

उधारकर्ता का प्रकार	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम की राशि	कुल ऋणों और ऋणों की प्रकृति के अग्रिमों का प्रतिशत	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम की राशि	कुल ऋणों और ऋणों की प्रकृति के अग्रिमों का प्रतिशत
प्रवर्तक				
निदेशक				
केएमपी				
संबंधित पार्टियां				

(v) बंद की गई कंपनियों के साथ संबंध

जहां कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेन-देन होता है तो, कंपनी निम्नलिखित विवरणों का खुलासा करेगी :

बंद कंपनी का नाम	बंद कंपनी के साथ लेन-देन की प्रकृति	बकाया शेष	बंद कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, का खुलासा किया जाना
	प्रतिभूतियों में निवेश	0	
	प्राप्तियां	0	
	देय	0	
	बंद कंपनी द्वारा रखे गए शेयर	0	
	अन्य बकाया राशि (निर्दिष्ट किया जाए)	0	

(vi) अनुपात विश्लेषण

क्र. सं.	अनुपात	अंश-गणक	विभाजक	वर्तमान अवधि	गत अवधि	भिन्नता %	भिन्नता का कारण
ए)	वर्तमान अनुपात	-	-	#DIV/0!	0.19012	#DIV/0!	
बी)	ऋण इक्विटी अनुपात	-	(0.00)	0.0000	-0.54570	-1.00000	
सी)	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	5,408.57	-	#DIV/0!	-0.00333	#DIV/0!	
डी)	इक्विटी अनुपात पर रिटर्न	5,408.57	843.5	6.4121	-0.02130	-302.04032	
ई)	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	-	-	0.0000	0.00000	0.00000	
एफ)	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	-	-	0.0000	0.00000	0.00000	
जी)	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	-	-	0.0000	0.00000	0.00000	
एच)	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	-	-	#DIV/0!	0.00000	0.00000	
आई)	शुद्ध लाभ अनुपात	5,408.57	-	0.0000	0.00000	0.00000	
जे)	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	5,408.57	(0.00)	-2913626.6792	0.00400	-727969060.92100	

क्र. सं.	अनुपात	अंश-गणक	विभाजक
ए)	वर्तमान अनुपात	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देनदारियां
बी)	ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी
सी)	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए	ऋण सेवा उपलब्ध आय
डी)	इक्विटी अनुपात पर रिटर्न	कर पश्चात शुद्ध लाभ - वरीयता लाभांश (यदि कोई हो)	औसत शेयरधारक की इक्विटी
ई)	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बेचे गए माल की लागात या बिक्री	औसत मालसूची
एफ)	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	कुल क्रेडिट बिक्री	प्राप्य औसत लेखा
जी)	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	कुल क्रेडिट खरीद	औसत व्यापार देय
एच)	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	कुल बिक्री	औसत कार्यशील पूंजी
आई)	शुद्ध लाभ अनुपात	कुल लाभ	कुल बिक्री
जे)	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और करों से पहले कमाई	नियोजित पूंजी

टिप्पणी संख्या - 13 - महत्वपूर्ण लेखा-नीतियाँ और अन्य वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

13.1 सहायता अनुदान

प्राप्त पूंजी / राजस्व सहायता अनुदान को संबंधित पूंजी / राजस्व व्यय से कम किया गया है।

13.2. अचल परिसंपत्तियां

ए) पूंजीकरण :

i. सकल खंड को ऐतिहासिक लागत के आधार पर दर्शाया गया है।

ii. आंतरिक निर्मित औजारों का मूल्यांकन कारखाना लागत पर किया गया है।

iii. समापन प्रमाण पत्र के आधार पर भवनों का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य सभी परिसंपत्तियों का पूंजीकरण उपभोक्ता को निर्गम के आधार पर किया गया है।

iv. अचल परिसंपत्तियों के व्यक्तिगत मूल्य रु. 5000/- और कम के अतिरिक्त प्रत्येक को व्यय में डाल दिया गया है।

v. परिसंपत्तियों के निपटान में होनेवाले फायदे/नुकसान को लाभ एवं हानि लेखा में क्रेडिट / चार्ज किया गया है।

बी) मूल्यह्रास :

कंपनी अधिनियम, 2013 के संशोधित अनुसूची - II के अनुसार मूल्यह्रास सीधी रेखा प्रणाली पर किया गया है।

13.3 निवेश का मूल्यांकन :

निवेश की दीर्घ अवधि के संदर्भ में निवेश के लिए वाहित राशि कीमत और शुद्ध मूल्य / अंकित मूल्य से कम है, जहाँ निवेश में स्थाई पतन है, वाहित राशि पतन को पहचानने में कम है।

13.4 इन्वेंटरी का मूल्यांकन

ए) कच्चा माल, पुर्जे, भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे तथा अन्य सामग्री :

i. कच्चा माल, पुर्जे, भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे तथा अन्य उपयोगी कटे भागों का मूल्याँकन लागत के न्यूनतम एवं कुल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है।

ii. लागत में सम्मिलित है खरीद की लागत, परिवर्तन करने की लागत और अन्य लागतों जो माल को उनके वर्तमान स्थान एवं स्थितियों में लाने हेतु खर्च की जाती है और इसे औसत भार विधि से पहँचा गया है।

iii. रद्दी तथा अवशिष्ट जैसे जस्ता भस्म, जस्ता लौहमल, कतरन, छेदन इत्यादि का मूल्याँकन निवल (शुद्ध) वसूली योग्य मूल्य के आधार पर किया गया है।

iv. अपने आदेशों के कार्यान्वयन के लिए लागत की वसूली के आधार पर ग्राहकों द्वारा दिए गए माल को कंपनी की इन्वेंटरी में दर्शाया गया है और माल के निर्गत होने पर उसे उपभोग जैसे लेखांकित किया गया है। मुक्त निर्गत प्राप्त माल को कंपनी की मालसूची में नहीं लिया गया है।

v. मशीनों के खरीदने के साथ-साथ प्राप्त फुटकर भागों को लागत पर इन्वेंटरी में ले लिया गया है। जहाँ ऐसे फुटकर भागों की लागत का ब्यौरा प्राप्य नहीं है, वहाँ केवल संख्यात्मक लेखा ही रखा गया है।

vi. कागजात तथा दवाओं की प्राप्ति पर, व्यय के रूप में चार्ज किया गया है।

vii. अचल इन्वेंटरी का प्रावधान तकनीकी मूल्याँकन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया है।

बी) फुटकर औजार

फुटकर औजार जिनकी लागत व्यक्तिगत रूप से रु. 250/- या कम है को निर्गत होने पर चार्ज किया गया है और वे जिनका व्यक्तिगत मूल्य रु. 250/- से ज्यादा है, वहाँ उसके मूल्य को निर्गत वर्ष को सम्मिलित करते हुए पाँच वर्षों में समान रूप से चार्ज किया गया है।

सी) संविदागत कार्य प्रगति में

संविदागत कार्य प्रगति में का मूल्य लेखा अवधि के अंत में कार्य के प्रगति के चरण को देखते हुए तकनीकी अनुमान पर आधारित है तथा संविदागत क्रिया को औसत समापन के रूप में प्रकट किया गया है। कार्य प्रगति में को लागत के न्यूनतम एवं अनुमानित लाभ या आंकलित बिक्री मूल्य पर वर्णित किया गया है। लागत में सम्मिलित है सभी व्यय जो सीधे संविदा की गतिविधि से संबंधित है तथा वे भी जो संविदा की गतिविधियों के लिए सामान्य रूप से उत्तरदायी है और विशेष संविदा के लिए बाँटे गये है।

रु 5 लाख के छोटे संविदाओं को उपरोक्त जैसा मूल्याँकित नहीं किया जाता है, परंतु इसे लागत के निम्न या अनुमानित विक्रय मूल्य के रूप में दर्शाया गया है।

13.5. ट्रेड प्राप्य

व्यापार से प्राप्त होने योग्य राशियाँ मुख्यतः राज्य सरकार और केंद्र सरकार की है। शेष राशियों की वसूली योग्यता की समय-समय पर समीक्षा की गयी है। 15 वर्षों से अधिक पुराने ऋणों के मामले में संदेहात्मक ऋणों का लेखा पुस्तकों में प्रावधान संबंधित वर्ष में किया गया है।

13.6. पूर्व प्रदत्त व्यय

व्ययों को पूर्व प्रदत्त व्यय के अंतर्गत लेखा में तभी लिया गया है जब समाप्त न हुई अवधि से संबंधित रकम प्रत्येक मद में रु. 10000/- से अधिक होती है।

13.7 विदेशी मुद्रा का लेन-देन

ए) विदेशी मुद्रा में नामांकित राजस्व, व्यय और नकद प्रवाह मद प्रतिवेदित मुद्रा में परिवर्तित किये गये है और विनिमय दर से प्रयोग करने के लिए लेन-देन के दिनांक से प्रभावित है। व्यवहारित लाभ या हानि विदेशी मुद्रा के लेन-देन के समझौते पर वसूल करने योग्य है, उस अवधि के लाभ या हानि के लिए शुद्ध लाभ के निर्धारण में शामिल की गई है जिसमें लेन-देन का समझौता हुआ था।

बी) विदेशी मुद्रा के मौद्रिक मद में रकम, परिसंपत्तियां एवं अन्य चालू देयताएं प्राप्त तथा अचल देय को तुलन पत्र के दिन पर स्थित विनिमय दर के अनुसार उपजित कुल आय/व्यय में दर्शाया गया है। गैर मौद्रिक मदों को लेनदेन के समय विनिमय दर के अनुसार परिसंपत्तियां एवं देयताओं में दर्शाया गया है।

13.8 विविध व्यय (जिस सीमा तक बट्टे खाते में नहीं डाले गये या समायोजित किये गये)

तकनीकी जानकारी शुल्क

नये / विविध उत्पादों के विकास तथा निर्माण के लिए किये गये सहयोग अनुबंध के तहत प्राप्त तकनीकी के लिए भुगतान किए गये तकनीकी जानकारी शुल्क को अस्थगित राजस्व व्यय मानकर उसके संभावित प्रयोग की अवधि तक बट्टे खाते में डाल दिया गया है जो इस प्रकार की तकनीकी सहायता से आरंभ हुए प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन होने के वर्ष से मानी गयी है।

13.9 संविदाओं पर राजस्व मान्यता

(क) संविदाओं पर

राजस्व की पहचान एएस-7 के अनुसार की जाती है। इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टड एकौंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्माण संविदाओं के लिए लेखा-जोखा राजस्व का निर्धारण समापन विधि की प्रतिशतता के आधार पर किया गया है। लाभ की गणना निम्नांकित आधार पर साख स्वरूप प्रत्येक लेखा वर्ष के लिए की गयी है।

संविदा कार्य की समापन प्रतिशतता	मान्य लाभ की प्रतिशतता
0 - 29	शून्य
30 - 49	45
50 - 89	80
90 - 99	95
100	97.5

(i) संविदा की शर्तों के अनुसार ग्राहकों पर दावों को लेखा में बिक्री के रूप में लेखांकित किया गया है।

(ii) इस्कालेशन दावों को संविदा में निर्धारित समापन की तारीख तक वृद्धि के आधार पर विक्रय के रूप में दर्शाया गया है। संविदा के अन्य दावों को प्राप्ति के आधार पर दर्शाया गया है।

(बी) ऊर्जा उत्पादन की बिक्री पर :

हुबली इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड (पूर्ववर्ती कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड) बिक्री के लिए लेखित माह के दौरान ऊर्जा इकाई उत्पादन के लिए दावा किया गया है।

13.10 दावें

ए. कंपनी द्वारा

निर्यात प्रोत्साहन, चुंगी वापसी शुल्क तथा बीमा/वाहकों के लिए कंपनी के दावों को जब कभी वे दायर किये जाते है तभी लेखांकित किया गया है।

बी. कंपनी के विरुद्ध दावें

कंपनी के विरूद्ध किये गये दावों को कंपनी द्वारा उन्हें स्वीकार किये जाने पर लेखांकित किया गया है।

13.11. अनुसंधान तथा विकास व्यय

अनुसंधान तथा विकास व्यय को, जिस वर्ष में हुआ, उसे लाभ एवं हानि लेखा में चार्ज किया गया है। किसी भी अनुसंधान तथा विकास से संबंधित स्थायी परिसंपत्तियों के खर्च को दूसरे स्थायी परिसंपत्तियों के अनुसार प्रबंध किया गया है।

13.12. सेवा निवृत्ति लाभ

क. उपदान (ग्रेज्यूटी)

कर्मचारियों को देय वर्तमान उपदान दायित्व का प्रावधान जो भविष्य में देय है, के लिए वास्तविक मूल्याँकन के आधार पर किया गया है।

ख. सेवा निवृत्ति पर देय अवकाश नकदीकरण

कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति पर देय अवकाश नकदीकरण की वर्तमान दायित्व का प्रावधान वास्तविक मूल्याँकन के आधार पर किया गया है।

ग. व्यवस्था भत्ता

भवष्यि में कर्मचारियों को सेवा मुक्त उपरान्त मिलने वाले व्यवस्था भत्ता के लिए वर्तमान दायित्व का प्रावधान अनुमानित आधार पर किया गया है।

घ. स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना

वर्ष के दौरान स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के भुगतान के संबंद्ध में हुए खर्च का लेखा स्वयं हो गया।

13.13. वारंटी:

संविदात्मक दायित्वों के लिए वारंटी प्रावधान यदि आपूर्ति किए गए गढ़े हुए भागों के संबंध में आपूर्ति वर्ष में प्रदान किया जाएगा।

13.14. पूर्वावधि के लेन देन

(i) पूर्वावधि से संबंधित भूल-चूक के रुप में किये गये आय/व्यय, जो प्रत्येक मामले में रु. 50000/- से अधिक न हो, को चालू वर्ष में किया गया आय / व्यय माना गया है।

(ii) प्रगति में चल रहे कार्यों से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय / आय को रकम की परवाह किये बिना जॉब (कार्यों) में चार्ज किया गया है।

13.15. नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह विवरण 'नकद प्रवाह विवरण' पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड (एएस) 3 में निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया गया है।

हमारे सम दिनांक के रिपार्ट के अनुसार
कृते एम. दुर्गा एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन संख्या:011925S

महेश दुर्गा
भागीदार
सदस्यता संख्या:212057

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
सीआईएन : U74210KA1960PLC001379

कृष्णमूर्ति बी. कुलकर्णी
निदेशक
डीआईएन : 09426657

योगेंद्र कुमार वैश्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09260752

स्थान : बेंगलोर
दिनांक : 31/07/2024
यूडीआईएन : 24212057BKALFJ3887

अन्य लेखा की टिप्पणियाँ

		31-03-2024 (₹ लाखों में)	31-03-2023 (₹ लाखों में)
13.16	**निम्नांकित के संबंध में आकस्मिक देयताएं**		
क)	कंपनी के विरुद्ध दावे न्यायिक निर्णय हेतु लंबित	शून्य	शून्य
ख)	अन्य दावे जिसको कंपनी ने ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया है।	शून्य	शून्य
ग)	बैंक गारंटी के एवज में बैंकों को दी गई काउन्टर गारंटियां	शून्य	शून्य

अन्य दावों पर संक्षिप्त टिप्पणी जो कंपनी ने स्वीकार नहीं किए है :

i. कंपनी के पास दो लंबित अदालती मामले है, जो इलाहाबाद और धारवाड़ की अदालत में कर्मचारियों से संबंधित है, जहां भारत सरकार भी एक पक्षकार है। भारत सरकार ने रिट याचिका संख्या 29472-492/2016 में एकल न्यायाधीश के आदेश दिनांक 01.10.2018 के खिलाफ जून 2021 के दौरान समीक्षा याचिका दायर की है और यह मामला कर्नाटक, धारवाड के माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। हालांकि, कंपनी इन लंबित मामलों में किसी अतिरिक्त देनदारी का अनुमान नहीं लगाती है।

13.17 कंपनी ने दिसंबर 1973 में कनवेयन्स डीड के अनुसार भूमि का दायित्व कंपनी के पास आया लेकिन कंपनी ने जिस कार्य के लिए भूमि को लिया गया उस व्यवसाय को पूर्ण नहीं कर पायी। इस शर्तों के परिणाम स्वरूप कर्नाटक सरकार को भूमि बिल्डिंग का दायित्व की वापसी प्राप्त हुई।

फिलहाल भारत सरकार को अचल परिसंपत्तियों टीएसपीएल का उत्तरदायित्व के बदले भारत सरकार के रु. 151.15 करोड़ को टीएसपीएल की परिसंपत्तियों का स्थानांतरण होने के स्थिति में खारिज करने की अनुमति दी। 27.03.2017 को सचिव, कर्नाटक सरकार तथा मेसर्स कर्नाटक हाऊसिंग बोर्ड में बैठक हुई। कर्नाटक हाऊसिंग बोर्ड ने केएचबी/एचसी/टीएसपीभूमि/होसपेटे/171/2017-18/530 दिनांक 14.06.2017 के अंतर्गत रु. 66 लाख प्रति एकड़ लेने का समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया गया।

भारत सरकार के इस आदेश के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी ने ब्याज और ऋण से संबंधित 467.07 करोड़ रुपये की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया और डिम्ड सेल के आधार पर भूमि की बिक्री का भी हिसाब लगाया। भूमि और भवनों के हस्तांतरण के लिए पूंजीगत लाभ घोषित किया गया और 97.75 करोड़ रुपये की कर देयता स्वीकार की गई। कंपनी ने 97.75 करोड़ रुपये की कर देयता के साथ अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया, जिसका भुगतान नहीं किया गया।

कर्नाटक सरकार के माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 27/03/2017 को आयोजित बैठक के अनुसार सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया गया कि कर्नाटक सरकार भूमि अधिग्रहण में अपनी रूचि व्यक्त करेगी।

मेसर्स कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड ने अपने पत्र केएचबी/एचसी/टीएसपी भूमि/होस्पेट/171/2017-18/530 दिनांक 14-06-2017 के माध्यम से 66.00 लाख रुपये प्रति एकड़ की प्रचलित बाजार दर पर भूमि खरीदने पर अपनी सहमति व्यक्त की थी।

भूमि कंपनी के कब्जे में थी और भारत सरकार के लिए एक संरक्षक के रूप में काम कर रही है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी ने रु. 55,22,88,000/- की बिक्री पर विचार के लिए केएचबी (कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड) को जमीन बेच दी है और उसी को भारत सरकार को वितरित किया जाना है या सरकारी आदेश में बताए गए उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाना है।

कर्नाकट हाउसिंग बोर्ड को भूमि हस्तांतरण के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त 55.37 करोड़ रुपये के बिक्रय प्रतिफल में से, कंपनी के बैंकर्स मेसर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आयकर विभाग के निर्देशों के तहत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 226(3) के अंतर्गत संपूर्ण राशि को आयकर के बकाया की बसूली के लिए हस्तांतरित कर दिया।

उक्त राशि वर्तमान में कंपनी की अन्य देनदारियों के अंतर्गत समूहीकृत है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी), ने वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में टिप्पणी दी है कि भूमि की बिक्री से प्राप्त रु. 55.22 करोड़ की राशि को गलत तरीके से भारत सरकार (जीओआई) को देय के रूप में दिखाया गया है। कंपनी द्वारा देय /देयताओं के विरुद्ध समायोजित किया जाना चाहिए था। कंपनी ने उपरोक्त मामले पर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक फर्म द्वारा एक विशेष लेखा परीक्षा आयोजित करके एक राय प्राप्त की है। विशेष लेखा परीक्षक ने कहा है कि संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करना समयबाधित था और कंपनी अब संशोधित रिटर्न दाखिल नहीं कर सकती है और इसे ठीक नहीं कर सकती है।

इसके अलावा, चूंकि भूमि की बिक्री से संबंधित लेन-देन पहले से ही वर्ष 2016-17 में काल्पनिक आधार पर दर्ज किया गया है और खातों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। स्वीकृत खाता डीएचआई और अन्य वैधानिक प्राधिकरणों के साथ दायर किया गया है, और इसलिए कंपनी खातों की किताबों में इन सुधारों को शामिल नहीं कर सकती है।

इसके अलावा, कंपनी को एक राय मिली है कि भले ही खातों को वास्तविक बिक्री के आधार पर पूंजीगत लाभ दिखाने के लिए संशोधित किया गया हो, पूंजीगत लाभ पर अतिरिक्त राजस्व को उलट देना होगा। इसके अलावा, भारत सरकार को देय राशि (जो कल्पित पूंजीगत लाभ से प्राप्त लाभ के विरुद्ध समायोजित की गई थी) को उलट कर आय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, क्योंकि यह भारत सरकार को देय नहीं होगी। यह उपचार से कंपनी के हाथ में आय होगी और कंपनी को नियमित दरों पर कर का भुगतान करना होगा, जो कि उस वित्तीय वर्ष के दौरान @ 30% था। इसमें कंपनी के हाथों में अतिरिक्त कर प्रवाह शामिल होगा।

भारी उद्योग मंत्रालय ने पत्र संख्या F.6 (3)/PE.IV/CPSE-II दिनांख 29.01.2024 के माध्यम से सूचित किया है कि टीएसपीएल को दिए गए 53.92 करोड़ रुपये के ऋण को संसद की मंजूरी के साथ अनुदान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, ताकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान टीएसपीएल की पुस्तकों में राइट ऑफ किया जा सके, साथ ही टीएसपीएल द्वारा कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड को होस्पेट में भूमि की बिक्री से प्राप्त 55.23 करोड़ रुपये को राइट ऑफ किया जा सके। अनुदान और भूमि बिक्री को राइट ऑफ करने पर व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। तदनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अपनी पुस्तकों में इसे राइट ऑफ कर दिया है और वित्तीय वर्ष के अंत में भारत सरकार को कोई बकाया ऋण नहीं है।

13.18 12.06.2016 को बीआईएफआर के सुनवाई में उनके पूर्व राय जो कंपनी को एसआईसीए 20(1) धारा के अनुसार बंद करने की पुष्टि की जिसे उच्च न्यायालय को प्रेषित किया गया है। भारत सरकार के ऋण एवं ब्याज के खारिज करने से कंपनी का नेटवर्थ सकारात्मक रहा। कंपनी ने बीआईएफआर तथा एएआईएफआर के सामने अपील दर्ज की और दिनांक 06.09.2019 को सिक्क इंडस्ट्रीयल कंपनी अधिनियम 1985 के दायरे में एएआईएफआर ने टीएसपीएल के मुक्ति का आदेस जारी किया।

13.19 कंपनी को वैधानिक बकाया और अन्य देनदारियों को पूरा करने के लिए रु. 53.92 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। उपरोक्त राशि पत्र एफ संख्या 6(3)/2011-पीई-IV (वोल्यूम IV) दिनांक 29.07.2020 द्वारा स्वीकृत की गई थी। भारी उद्योग विभाग के उपर्युक्त पत्र के अनुसार इस राशि को सहायता अनुदान के रूप में माना जाना था। हालांकि कंपनी के अनुरोध के आधार पर भारी उद्योग विभाग ने अपने पत्र संख्या 6(3)/2008-पीई-IV/सीपीएसई II) दिनांक 09.08.2021 के माध्यम से कंपनी के बंद होने तक ऋण के रूपांतरण को अनुदान में बदल दिया है।

13.20 कंपनी को बंद करने के कारण व्यापार की देने योग्य देनदारियाँ, व्यापार से प्राप्य, वसूली योग्य दावों, जमा एवं अग्रिम राशि में कुछ पुराने / असंबद्ध शेष राशियाँ हैं जिनका मिलान/समायोजन लंबित है। ऐसी शेष राशियों के संदर्भ में कोई पुष्टिकरण नहीं प्राप्त हुआ है। समायोजन, जैसे आवश्यक होंगे उन्हें संबंधित शेष राशियों के मिलान/समायोजन/वसूली के वर्ष में लेखाबद्ध किया जायेगा।

13.21 जैसा कि कंपनी के पास लघु उद्योग इकाईयों के रूप में पंजीकृत विविध लेनदारों के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, लघु उद्योग इकाईयों को देय राशि, यदि कोई है, का विशेष प्रकटीकरण नहीं किया जा सका। फलस्वरूप, ब्याज देयता, यदि होती है, के लिए प्रावधान नहीं किया जा सका।

13.22 एएस 17 के अनुसार खंड रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है क्योंकि वर्ष के दौरान कारखाने में कोई जनशक्ति और उत्पादन गतिविधियां नहीं थी और कंपनी को बंद करने के मद्देनजर से।

13.23 आयकर

कंपनी को निर्धारण वर्ष 2017-18 का निर्धारण आदेश एफ.सं.264/एएसीटी8126एच/आईटीओ/डब्ल्यू-1/बीएलवाई/21-22 दिनांक 14.07.2021 प्राप्त हुआ है और दिनांक 02.11.2021 को रु. 972 लाख का रिफंड मिला है, पिछले वर्षों से संबंधित कर के तहत हिसाब लगाया गया है (भंडार एवं अधिशेष के तहत)। कंपनी ने अनवशोषित मूल्यह्रास और पिछले नुकसान पर विचार करने के लिए प्रधान आयकर आयुक्त, हुबली/गुलबर्गा के साथ एक सुधार आदेश दायर किया था। इस पर विचार किया गया है और कंपनी को राहत प्रदान की गई है। इसके परिणामस्वरूप रु. 972 लाख का रिफंड मिला है। उपरोक्त के अलावा, कंपनी को आकलन वर्ष 2020-21 के लिए रु. 2.62 लाख का रिफंड भी मिला है। इसे पहले के वर्षों से संबंधित करों के तहत गिना गया है।

13.24 संबंधित पार्टी लेनदेन

संबंधित पार्टियों के नाम और संबंध की प्रकृति :

(i) जहां नियंत्रण मौजूद है
भारत सरकार - भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी

(ii) अन्य संबंधित पार्टियाँ जिनके साथ वर्ष के दौरान लेन-देन हुए है :

मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति

वाई. के. वैश्य - निदेशक
जोसेफ अतुल टी बर्ला - निदेशक

आँकडों को हजार से पूर्ण करते हुए (राउन्ड ऑफ) लाख में प्रकट किया गया है।

13.25 पिछले वर्ष के आँकडों को जहाँ जरूरी समझा गया पुन:वर्गीकृत किया गया है जिससे वर्तमान वर्ष के आँकड़ों को सुनिश्चित किया जा सके।

13.26 जारी प्रचालन से

कंपनी समेटने का कार्य जारी है न की जारी प्रचालन। लेखा मानक 1 के लेखांकन नीतियां प्रकटन के अनुसार कंपनी की सभी परिसंपत्तियां एवं देयताएं मूल योग्य मूल्य के अनुसार दर्शायी गयी है।

13.27 बंद प्रचालन से

यूनियन कैबिनेट के दिनांक 22.12.2015 के निर्णयानुसार तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड सीपीएसई, भारी उद्योग विभाग के अधीन बंद किया गया। सीसीईए के निर्णयानुसार टीएसपीएल ने सभी कर्मचारी जो उस दिन कार्यरत थे को वीआरएस/वीएसएस को पेश किया तथा बाकी कर्मचारियों को आईडी नियम के अनुसार छंटनी। तदनुसार, कंपनी ने 2015-16 के दौरान वीआरएस/वीएसएस को जारी किया। सभी कर्मचारियों ने इसे अपनाया तथा बंद करने के भाग के रूप में सेवामुक्त किया गया। अचल परिसंपत्तियों को एमएसटीसी के अंतर्गत बेचा गया। सीसीईए के निर्णयानुसार भाउवि/भारत सरकार के पास अचल परिसंपत्तियों के स्थानांतरण केन्द्रीय सरकार मंत्रालय / विभाग / उपक्रम / जैसा कि उपर कहा गया है का अधिकार जारी है, भूमि को राज्य सरकार को या अन्य संस्थानों को बेचा / स्थानांतरित किया जा सकता है।

हमारे सम दिनांक के रिपार्ट के अनुसार
कृते एम. दुर्गा एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन संख्या:011925S

महेश दुर्गा
भागीदार
सदस्यता संख्या:212057

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
सीआईएन : U74210KA1960PLC001379

कृष्णमूर्ति बी. कुलकर्णी
निदेशक
डीआईएन : 09426657

योगेंद्र कुमार वैश्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09260752

स्थान : बेंगलोर
दिनांक : 31/07/2024
यूडीआईएन : 24212057BKALFJ3887

(₹ लाखों में)

क्रमांक	विवरण	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
1	उत्पादन का मूल्य	-	-	-	-	-	-	-	5	5	37	61	55
2	विक्रय	-	-	-	-	-	-	-	5	5	37	61	117
3	मूल्यह्रास, ब्याज तथा कर के पूर्व सकल लाभ	5430	42	19	5	23	19	124	48,183	(1,218)	(22)	(243)	(329)
4	मूल्यह्रास	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	55	55
5	सकल लाभ	5430	42	19	5	23	19	124	48,183	(1,256)	(60)	(298)	(384)
6	ब्याज :												
	ए) सरकारी	-	-	-	-	-	-	-	-	2,190	2,827	2,749	2,691
	बी) अन्य	22	22	37	37	(492)	(1,740)	1,265	241	-	-	-	1
7	कर पूर्व लाभ	5408	20	(18)	(33)	(469)	(1,721)	(1,140)	47,942	(3,446)	(2,887)	(3,191)	(3,115)
8	कर के लिए प्रावधान	861	-	-	-	-	-	-	7,409	-	-	-	-
9	कर पश्चात लाभ	4547	20	957	(778)	(169)	(2,655)	(1,142)	40,533	(3,446)	(2,887)	(3,191)	(3,115)
10	सकल ब्लॉक	-	-	-	-	-	-	-	-	1,998	2,033	2,056	2,058
11	निवल ब्लॉक	-	-	-	-	-	-	-	-	253	297	338	393
12	कार्यशील पूँजी	-	(9,861)	(9,881)	(10,838)	(10,060)	(9,891)	(7,236)	(6,094)	(42,584)	(29,713)	(26,904)	(24,091)
13	दीर्घकालीन ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	15,109	11,300	11,127	10,730
14	नगद उधार सहित अल्पकालीन ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,209	1,341	1,435
15	अंश पूंजी	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844
16	आरक्षित पूँजी एवं अधिशेष	(844)	(10,705)	(10,724)	(11,681)	(10,903)	(10,734)	(8,080)	(6,937)	(47,470)	(44,023)	(41,131)	(37,940)
17	नियोजित पूँजी	-	(9,861)	(9,881)	(10,838)	(10,060)	(9,891)	(7,236)	(6,094)	(29,420)	(29,420)	(26,567)	(23,697)
18	वास्तविक मूल्य	-	(9,861)	(9,881)	(10,838)	(10,060)	(9,891)	(7,236)	(6,094)	(46,626)	(43,180)	(40,287)	(37,097)
19	कर्मचारियों की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	84	93
20	जोड़ा गया मूल्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	51	14
21	वेतन, मजदूरी तथा हितलाभ	-	-	-	-	-	-	-	-	226	307	322	309
22	प्रति कर्मचारी जोड़ा गया मूल्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0
23	मजदूरी के प्रत्येक रुपये में जोड़ा गया मूल्य (रु)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
24	राजकोष में योगदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15
25	आंतरिक स्त्रोतों से उत्पत्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	निर्यात, जिसमें मान लिया गया निर्यात शामिल है	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	बिक्री में वेतन तथा मजदूरी के प्रति प्रतिशतता (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	4,520	830	526	263
28	उत्पादन के लिए उपयुक्त सामग्री की प्रतिशतता (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39
29	उत्पादन दिनों की संख्या के प्रति इन्वेंट्री	-	-	-	-	-	-	-	-	-	657	409	457
30	बिक्री के दिनों की संख्या के प्रति विविध देनदार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525	244	823

तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड

(भारत सरकार, कर्नाटक सरकार तथा आंध्र प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)

Tungabhadra Steel Products Limited

(A Joint Undertaking of the Government of India & Governments of Karnataka & Andra Pradesh)

एचएमटी भवन, 59, बेल्लारी रोड, बेंगलूरु - 560 032.

HMT Bhawan, #59, Bellary Road, Bengaluru - 560 032

CIN No. : U74210KA1960PLC001379